

218

श्री अशोक भास्करा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

श्री मं.

श्री मं.
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग-20 मुंबई-400
प्राथमिक विभाग नई दिल्ली-110002

विभाग 174 अग्रिम

दिनांक: 09 अगस्त, 1995

विषय:- भारत रत्न-16 दिनांक 12 नवम्बर, गाजियाबाद को अग्रिम/उप
प्रमाण पत्र दिने जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-

अनुसूचित विधायक पदों पर चयन का निर्देश हुआ है कि भारत रत्न को
दिसंबर-12 कोषा गाजियाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली को
सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिशर्तों
का पूर्ण पालन करना है :-

- 1- विद्यमान की संशुद्ध सौभाग्य की तमय पर नवीनीकरण कराया जाये।
- 2- विद्यमान की प्रश्न समिति में शिक्षा विभाग द्वारा शामिल एक सदस्य को
3- विद्यमान में एक से कम एक प्रतिशत-रक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति को
के अर्थों में लिए दूरस्थ रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को
संबन्धित विद्यमानों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क के अर्थों में
नहीं किया जायेगा ।
- 4- तमय प्रसार राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी ।
यदि पूर्ण में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिने जाने
में राज्य के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्रमाण पत्र दिने जाने
का प्रमाण पत्र दिने जाने में सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिने जाने में विद्यमान के सम्बन्धित
राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्बन्धित ही जायेगी ।
- 5- तमय प्रसार शिक्षा तथा अभिज्ञान समितियों को राजकीय सहायता प्रदान
करना संघों के अधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्गों के
वर्गों को सम्बन्धित नहीं दिने जायेगी ।
- 6- विद्यमानों की सेवा नहीं करनी जायेगी और उन्हें सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिने जाने
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति
सम्बन्धित नहीं जायेगी ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा तमय तमय पर ही भी अधिक विनिर्दिष्ट नहीं जायेगी ।
अन्य प्रमाण पत्र दिने ।
- 8- विद्यमान का विद्यमान निर्धारित शुल्क/विद्यमानों में रखा जायेगा ।
- 9- विद्यमानों में राज्य सरकार के प्राचार्यों/उप के विद्यमानों पर विद्यमान/विद्यमान का
परिष्कार नहीं किया जायेगा ।
- 10- विद्यमान प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र दिने जाने के निर्देश/विद्यमानों को
यदि किसी तमय वह पत्रा जाता है तो तमय द्वारा प्रमाण पत्र दिने जाने में

बड़ी विद्या जा रहा है तो अपना ध्यान देने में विद्यार्थी को
सिखता बरती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा
प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

अखिल भारतीय
उप सचिव ।

सूचना 1296111/15-7-1993 त्रिपुरा

इतिविधि विभागाध्यक्ष को सूचनाएं एवं आदेशों के संबंध में

देय प्रेषित :-

- 1- विद्या विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अखिल भारतीय उप विद्या विभाग के उपाध्यक्ष के पास ।
- 3- विद्या विभाग के निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक जॉन भारतीय विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख मातृ स्कूल ई-16 से 17-17 गीता, गाजियाबाद ।

आता है,

[Handwritten Signature]
अखिल भारतीय
उप सचिव ।

Attended
[Handwritten Signature]

Principal
MODERN SCHOOL
NOIDA